




लेखे एक नजर में


2017-18



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार



लेखे एक नजर में वर्ष 2017-18

प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड
(लेखा एवं हकदारी)



झारखण्ड सरकार

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्यय को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

'लेखे एक नजर में' सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

स्थान : राँची

दिनांक : 09 अगस्त, 2019

(चन्द्र मौलि सिंह)

प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)

हमारा दृष्टि, उद्देश्य एवं बुनियादी मूल्य

दृष्टि

(एक द्रष्टा के रूप में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे उद्देश्य क्या हैं)

हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाकर विश्वनायक एवं पहलकर्ता की अपनी पहचान बनाने में जी जान से जुटे हैं एवं प्रशासन के क्षेत्र में स्वतंत्र विश्वसनीयता, संतुलित एवं समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए हमें जाना जाता है।

भारतीय संविधान के अनिवार्यताओं के अनुसार, हम उच्च स्तरीय लेखा परीक्षा तथा लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता व श्रेष्ठ प्रशासन को प्रोन्नत करते हैं एवं अपने भागीदारों, विधायिका, कार्यपालिका को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधि का उपयोग प्रभावी तरीके से यथोचित उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य अपनी वर्तमान भूमिका एवं वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं का निरूपण करना है।

बुनियादी मूल्य


हमारे बुनियादी मूल्य सभी के मार्गदर्शन हेतु आलोकित करना है जिसे हम पूरा करते हैं तथा यही मूल्य हमारे प्रदर्शन के आकलन के लिए निर्धारित मानदण्ड है।

- स्वतंत्रता
- निष्पक्षता
- अखण्डता
- विश्वसनीयता
- विशिष्ट दक्षता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक दृष्टिकोण

विषय-सूची

पृष्ठ		
अध्याय-1	विहंगावलोकन	
1.1.	भूमिका	7
1.2.	लेखे की संरचना	8
1.2.1.	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं.....	8
1.2.2.	लेखा संकलन	9
1.3.	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे.....	10
1.3.1.	वित्त लेखे	10-12
1.3.2.	विनियोग लेखे.....	12
1.3.3	बजट अनुमानों की कार्य कुशलता.....	12
1.4.	निधियों के स्रोत तथा उपयोग	12
1.4.1.	अर्थोपाय अग्रिम.....	12
1.4.2.	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफट.....	12
1.4.3.	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत तथा उपयोग).....	12-13
1.4.4.	रूपये कहाँ से आए	14
1.4.5	रूपये कहाँ गए.....	14
1.5.	लेखे की विशिष्टता.....	15-16
1.6.	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005	17
1.6.1.	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	18
1.6.2.	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	18
1.6.3.	उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात.....	19
अध्याय-2	प्राप्तियाँ	
2.1.	भूमिका	20
2.2.	राजस्व प्राप्तियाँ.....	20
2.2.1.	राजस्व प्राप्तियाँ का घटक.....	21
2.2.2.	राजस्व प्राप्तियाँ का रूझान.....	21-22
2.3.	कर राजस्व	22-23
2.3.1	राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन.....	23
2.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान	24
2.4.	कर संग्रहण की दक्षता.....	25
2.5.	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सों की प्रवृत्ति	26
2.6.	सहायक अनुदान	26-27
2.7.	लोक ऋण	28

अध्याय–3	व्यय	
3.1.	भूमिका	29
3.2.	राजस्व व्यय.....	30
3.2.1.	राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण.....	31
3.2.2.	राजस्व व्यय के मुख्य घटक.....	32
3.3.	पूंजीगत व्यय.....	32
3.3.1.	पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.3.2.	पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण	33
3.4	लेखांकन मानकों का अनुपालन	33
अध्याय–4	राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.ए.एस.सहित) एवं स्थापना व्यय	
4.1.	व्यय का वितरण.....	34
4.2.	योजना व्यय.....	34-35
4.2.1.	पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय.....	35
4.2.2	ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय	35
4.3.	स्थापना व्यय	36
4.4.	वचनबद्ध व्यय.....	36-37
अध्याय–5	विनियोग लेखे	
5.1.	विनियोग लेखे का सारांश.....	38
5.2.	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक या अधिक व्यय की प्रवृत्ति	38
5.3.	महत्वपूर्ण बचतें.....	39-40
अध्याय–6	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	
6.1.	परिसम्पत्तियाँ.....	41
6.2.	ऋण एवं दायित्व.....	42
6.3.	निवेश एवं वापसियाँ.....	43
6.4.	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	43
6.5.	प्रत्याभूति.....	43
अध्याय–7	अन्य मर्दे	
7.1.	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	44
7.2.	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता.....	44
7.3	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान	44
7.4.	लेखे का पुनर्मिलान.....	45-46
7.5.	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	46
7.6.	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र...	46
7.7.	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.).....	47
7.8.	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	47
7.9.	उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यु.डी.ए.वाई.)	47
7.10	व्यय की तीव्रता	47-48



अध्याय – 1

विहंगावलोकन

1.1 भूमिका

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदत्त ऑकड़ों को संकलित, वर्गीकृत एवं समेकित करता है एवं झारखंड सरकार के लेखों को तैयार करता है। यह संकलन जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्यों, सिंचाई एवं लोक स्वारथ्य प्रमंडलों, वन प्रमंडलों, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन की सूचना द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों पर आधारित है। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रत्येक माह झारखंड सरकार को मासिक सिविल लेखे प्रस्तुत किया जाता है। महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों एवं सरकार के व्यय की गुणवत्ता पर त्रैमासिक अनुशंसा नोट भी प्रस्तुत करता है। वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखंड द्वारा अंकेक्षित एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं

सरकार के लेखों की संरचना

भाग-1 विनियोग लेखे


समेकित निधि - कर एवं गैर-कर राजस्वों सहित सरकार के सभी राजस्वों उठाये गए ऋण एवं दिये गये ऋणों (ब्याज सहित) की अदायगी समेकित निधि जमा होते हैं। ऋणों की अदायगी तथा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) सहित सरकार के सभी व्यय एवं संवितरण को इस कोष से बहन किया जाता है।

आकस्मिक निधि समुदाय स्वरूप की है। वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है। झारखण्ड सरकार के लिए इस कोष की राशि ₹ 500.00 करोड़ है।

भाग-2 आकस्मिक निधि

भाग-3 लोक लेखे

इसमें ऋण, जमा, पेशियां, प्रेषण तथा उचित लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचित लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।



1.2.2 लेखा संकलन

लेखा संकलन हेतु प्रवाह आरेख

आगत

उत्पाद

कोषागारों से प्राप्त मासिक लेखे (भुगतानों की सूची, भुगतानों की अनुसूची, वाउचर, नकद खाता, प्राप्तियों की अनुसूची) लोक निर्माण मण्डलों तथा वन मण्डलों से प्राप्त संकलित लेखे

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी कार्यालय)

- संकलित आंकड़ों की विधि मान्यता
- बजट दस्तावेजों की विधि मान्यता तथा निधियों के पुनर्विनियोजन एवं अभ्यर्पण की सूचना

प्रक्रियान्वयन

वेतन एवं लेखा कार्यालयों, अन्य महालेखाकारों तथा भारतीय रिजर्व, बैंक से प्राप्त समाशोधन ज्ञापन, आवक/जावक समायोजन लेखे

राज्य वित्त विभाग से प्राप्त आंकड़े

वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखे

लेखे एक नजर में

मासिक सिविल लेखे

मासिक विनियोग लेखे

प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन, व्यय का प्रतिवेदन तथा त्रैमासिक मूल्यांकन टिप्पणी

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूँजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मदें शामिल हैं। खण्ड-II में विस्तृत (भाग-I) तथा परिशिष्टों (भाग-II) को शामिल किया जाता है।


झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखे, 2017-18 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है -

वर्ष 2017-18 में प्राप्तियों और व्ययों


(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ		64,756
	राजस्व	पूँजी	
प्राप्तियाँ	कर राजस्व		33,497
	करेतर राजस्व		7,847
	सहायता अनुदान एवं अंशदान		11,412
	राजस्व प्राप्तियाँ		52,756
संवितरण	कर्ज एवं पेशागियों की वसूली		42
	उधार एवं अन्य दायित्व ^(*)		11,933
	विविध पूँजी प्राप्तियाँ		25
	पूँजी प्राप्तियाँ		12,000
कुल संवितरण			64,756
संवितरण	राजस्व		50,952
	पूँजी		11,952
	कर्ज एवं पेशागियाँ		1,852

(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्तर्राज्यीय परिशोधन



वर्ष 2017-18 की प्राप्तियाँ व संवितरण



(*) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/ गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। इस वर्ष, भारत सरकार ने ₹ 322 करोड़ प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड - II के परिशिष्ट - VI में इन अंतरणों को दर्शाया गया है।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के तहत विधायिका के अधिकृत किये बिना सरकार किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकती है। कृष्ण निर्दिष्ट खर्चों को छोड़कर जो संविधान के समेकित निधि पर प्रभारित हैं, जो विधायिका के वोट के बगैर खर्च किये जा सकते हैं, अन्य सभी खर्च 'पारित' होते हैं। झारखण्ड सरकार के बजट में 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं। विनियोग लेखे का उद्देश्य यह दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधायिका द्वारा प्राधिकृत विनियोग के साथ संकलित वास्तविक व्यय किस सीमा तक हैं।

1.3.3 बजट अनुमानों की कार्य कुशलता

वर्ष के अंत में, विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के खिलाफ झारखण्ड सरकार का वास्तविक व्यय, ₹ 14,346 करोड़ (अनुदान का 21 प्रतिशत) का निवल बचत हुआ एवं व्यय की कमी पर ₹ 486 करोड़ (अनुमान का 82 प्रतिशत) का अधिक आकलन किया गया।

1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम


भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम लेती है। वर्ष 2017-18 के दौरान, झारखण्ड सरकान ने सात (07) दिनों के लिए साधारण अर्थोपाय पेशागियाँ प्राप्त किया।

1.4.2 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया से ओवरड्रॉफ्ट

भारतीय रिवर्ज बैंक के साथ रख-रखाव के लिए गए अर्थोपाय अग्रिम के बाद भी यदि न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 0.45 करोड़ से कम हो जाए, तो भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्रॉफ्ट लिया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने ओवरड्रॉफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।

1.4.3 निधि प्रवाह विवरण

31 मार्च 2018 तक राज्य के पास ₹ 1,804 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,934 करोड़ का राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय घाटे को लोक ऋण (₹ 8,137 करोड़) तथा लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 6,001 करोड़) तथा निवल अन्य एवं अंत रोकड़ शेष (₹ 744 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 52,756 करोड़) का लगभग 41 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 11,221 करोड़), ब्याज अदायगियों (₹ 5,913 करोड़) एवं पेंशन (₹ 5,913 करोड़) पर व्यय किया गया।




निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(₹ करोड़ में)





विवरण	राशि
• 01.04.2017 को अथ रोकड़ शेष	502
• राजस्व प्राप्तियाँ	52,756
• विविध पूंजी प्राप्तियाँ	25
• कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	42
• लोक ऋण	8,137
• लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,017
• आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	401
• जमा प्राप्ति	15,651
• सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	369
• उचंत लेखा	61,210
• प्रेषण	10,559
• कुल	1,50,669
• राजस्व व्यय	50,952
• पूंजी व्यय	11,953
• दिए गए कर्जे	1,852
• लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2,949
• लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	950
• आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	109
• खर्च किए गए जमा	10,929
• दिए गए सिविल अग्रिम	370
• उचंत लेखा	60,381
• प्रेषण	10,466
• 31.03.2018 को अन्त रोकड़ शेष	(-)242
• कुल	1,50,669

1.4.4. रुपये कहाँ से आए



1.4.5. रुपये कहाँ गए





1.5. लेखे की विशिष्टता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्रोत	ब.प्रा. 2017-18	वास्तविकी 2017-18	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. (#) की वास्त. विकी से प्रतिशतता ³
1	कर राजस्व @	40,935	33,497	82	13
2	करेतर राजस्व	11,258	7,847	70	3
3	सहायक अनुदान एवं अंशदान	13,414	11,412	85	4
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	65,607	52,756	80	21
5	विविध पूँजी प्राप्ति	..	25	0	0
6	कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	66	42	64	0
7	उधार एवं अन्य दायित्व ⁵	10,000	11,933	119	5
8	पूँजी प्राप्तियाँ (5+6+7)	10,066	12,000	119	5
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	75,673	64,756	86	25
10	स्थापना व्यय ⁶	27,981	28,111	100	11
11	राजस्व लेखा पर गै.यो. व्यय	27,930	27,953	100	11
12	10 में से ब्याज भुगतान पर स्थापना व्यय	4,697	4,662	99	2
13	पूँजी लेखा पर स्थापना व्यय	51	158	310	0
14	योजना व्यय ⁶	42,618	36,645	86	14
15	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	29,931	22,999	77	9
16	पूँजी लेखा पर योजना व्यय	12,687	13,646	108	5
17	कुल व्यय (10+14)	70,599	64,756	92	25
18	राजस्व व्यय (11+15)	57,861	50,952	88	20
19	पूँजी व्यय (13+16) (§)	12,738	13,804	108	5
20	राजस्व अधिशेष (4-18)	7,746	1,804	23	1
21	राजकोषिय घाटा (4+5+6-17)	4,926	11,933	243	5

³ सकल राज्य धरेलु उत्पाद का ₹ 2,55,271 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

⁴ संघीय करों में राज्य का हिस्सा का ब.प्रा. तथा वास्तविकी क्रमशः ₹ 17,886 करोड़ तथा ₹ 21,144 करोड़ सम्मिलित है।

⁵ उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।

⁶ व्यय में ₹ 77 करोड़ स्थापना एवं ₹ 1,762 करोड़ राज्यस्तरीय सम्मिलित है जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है।

⁷ पूँजी लेखा पर व्यय में पूँजी व्यय (₹ 11,952) एवं संवितरित कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 1,852 करोड़) सम्मिलित है।

घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?

घाटा

राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।

राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।

राजस्व घाटा / अधिशेष

राजकोषीय घाटा / अधिशेष

कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है। सूचित करता है आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व अधिकोष ₹ 1804 करोड़ (2016-17 में ₹ 1965 अधिशेष) एवं राजकोषीय घाटा ₹ 11958 करोड़ (2016-17 में ₹ 10192 घाटा) सकल राज्य घरेलु उत्पाद का 1 से 5 प्रतिशत क्रमशः दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 18 प्रतिशत है।



1.6 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005

झारखण्ड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में नियत राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करना था। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वित्तीय अधिनियमों के तहत निर्धारित नियमों के तहत प्राप्तियाँ इस प्रकार थीं -

क्र.सं.	वित्तीय मापदण्ड	वास्तविक (₹ करोड़ में)	जी.एस.डी.पी. का अनुपात*	
			लक्ष्य	उपलब्धि
1	राजस्व घाटा	1,804	\$	लक्ष्य प्राप्त किया गया
2	राजकोषीय घाटा	11,958	3 प्रतिशत या कम	4.67 (लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ)
3	ऋण एवं अन्य दायित्व	77,095		
4	बकाया प्रत्याभूति	157		

* सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ₹ 2,55,271.72 करोड़ जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

§ राजस्व घाटा 2011-12 में घट कर शून्य हो गया था।

राज्य सरकार ने झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत विधायिका के लिए आवश्यक उद्घोषित विधान मण्डल में प्रस्तुत किए।

राज्य सरकार के पास 2016-17 में 1,965 करोड़ एवं 2017-18 के दौरान 1804 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात खर्च 2013-18 में 4.67 एवं 1.31 प्रतिशत की सीमा के बीच था।


1.6.1. राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति


राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति



1.6.2. राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति

राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति






1.6.3. उधार निधि से पूंजीगत व्यय पर खर्च का अनुपात -

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उधार निधि	पूंजीगत व्यय
2013-14	4,703	4,945
2014-15	6,690	6,367
2015-16	13,245	15,639
2016-17	7,081	12,196
2017-18	8,137	13,805

उधार निधि एवं पूंजीगत व्यय



सरकार आम तौर पर राजकोषीय घाटे एवं उधार निधियों का उपयोग पूंजी/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए करता है ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियां एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गई निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाए तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो। चालू वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय के लिए उधारों से (₹ 7081 करोड़) तथा राजस्व अधिशेष से (₹ 1965) संपोषित किया।

अध्याय - 2

प्राप्तियाँ

2.1. भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 64,756 करोड़ था।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व


भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।

ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं।

करेतर राजस्व

● सहायक अनुदान

अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाहय अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायतंशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।



राजस्व प्राप्तियाँ



2.2.1. राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2017-18)

(₹ करोड़ में)

घटक		वास्तविकी	राजस्व प्राप्तियाँ का प्रतिशत
क.	कर राजस्व	33,497	63
	वस्तु एवं सेवा कर	6,558	12
	आय तथा व्यय पर कर	12,016	23
	सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	625	1
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	14,298	27
ख.	करेतर राजस्व	7,847	15
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	169	0
	सामान्य सेवायें	385	1
	सामाजिक सेवायें	673	1
	आर्थिक सेवायें	6,620	13
ग.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	11,412	22
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	52,756	100

2.2.2 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

(₹ करोड़ में)


	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कर राजस्व	18,319 (10)	19,837 (9)	27,448 (11)	32,441 (13)	33,497 (13)
करेतर राजस्व	3,753 (2)	4,335 (2)	5,853 (2)	5,351 (2)	7,847 (3)
सहायक अनुदान	4,065 (2)	7,393 (3)	7,337 (3)	9,262 (4)	11,412 (4)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	26,137 (14)	31,565 (14)	40,638 (16)	47,054 (19)	52,756 (21)
स.रा.घ.ज.	1,88,567	2,17,107	2,41,955	2,53,536⁸	2,55,271*

* (₹2,55,271 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद) जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, को लिया गया है।

टिप्पणी : लघु कोषक में आंकड़े स.रा.घ.ज., जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में हैं, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व संग्रह में वृद्धि वर्ष 2016-17 की तुलना में 12 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 1 प्रतिशत ही था। कर राजस्व में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा करतेर राजस्व में 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम कर (₹ 6,475 करोड़) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 5,941 करोड़), बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹ 5,715 करोड़) एवं आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹ 5,467 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 4,124 करोड़), समेकित वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,134 करोड़) राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 841 करोड़), संघ-उत्पाद शुल्क (₹ 2,230 करोड़) एवं सेवा कर (₹ 2,404 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान




2.3 कर राजस्व

(₹ करोड़ में)


क्षेत्रवार राजस्व प्राप्तियाँ					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वस्तु तथा सेवा कर	6,558
आय तथा व्यय पर कर	5,036	5,736	8,617	10,466	12,016
सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	741	623	697	861	625
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	12,542	13,478	18,134	21,114	14,298
कुल कर राजस्व	18,319	19,837	27,448	32,441	33,497

वर्ष 2017-18 के दौरान सकल कर राजस्व में बढ़ोतरी, भारत सरकार से राज्य अंश प्राप्त होने एवं निगम कर (₹ 6,475 करोड़), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (₹ 5,715 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 5,467 करोड़), राज्य वस्तु तथा सेवा कर (₹ 4,124 करोड़), सेवा कर (₹ 2,404 करोड़), संघ उत्पाद शुल्क (₹ 2,230 करोड़), सीमा शुल्क (₹ 2,134 करोड़), एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,134 करोड़)।

स.रा.घ.उ. के अनुपात में मुख्य करों की प्रवृत्ति



2.3.1 राज्य की स्व कर राजस्व एवं संघीय करों में राज्य का अंश संग्रहण का प्रदर्शन



निम्न तालिका में विगत पाँच वर्षों के दौरान कर संग्रह के दो स्रोतों को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)


विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य का स्व कर संग्रह	9,380	10,350	11,479	13,299	12,353
संघीय करों का हस्तांतरण	8,939	9,487	15,969	19,142	21,144
कुल कर राजस्व	18,319	19,837	27,448	32,441	33,497
कुल कर संग्रह में राज्य का स्व कर का प्रतिशतता	51	52	42	41	37

सकल राजस्व के अनुपात में राज्य का अपना कर संग्रहण वर्ष 2013-14 से घटते हुए क्रम में दिखाया गया है। वर्ष 2013-14 के तुलना में राज्य का स्व कर राजस्व में 14 प्रतिशत कम हो गया है।

2.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य के निजी कर संग्रहण का रूझान

(₹ करोड़ में)

कर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,305	8,070	8,999	10,549	5,715
राज्य वस्तु तथा सेवा कर	-	-	-	-	4,124
राज्य उत्पाद शुल्क	628	740	912	962	841
वाहनों पर कर	495	660	633	682	778
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	503	531	532	607	469
विद्युत पर कर एवं शुल्क	146	175	126	152	184
भूमि राजस्व	230	84	164	240	156
वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर	1.08	0.28	0.17	0.01	0.00
अन्य कर	71.92	89.72	112.83	106.99	86
कुल राज्य का निजी कर	9,380	10,350	11,479	13,299	12,353



2.4 कर संग्रहण की दक्षता

(₹ करोड़ में)

कर	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
राजस्व वसूली	7,305	8,070	8,999	10,549	5,715
संग्रहण पर व्यय	51	47	48	49	63
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	0.70	0.58	0.53	0.46	1.10
2. राज्य उत्पाद कर					
राजस्व वसूली	628	740	912	962	841
संग्रहण पर व्यय	15	14	19	17	20
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	2.39	1.89	2.08	1.77	2.38
3. वाहन, माल एवं यात्री कर					
राजस्व वसूली	496	661	633	682	778
संग्रहण पर व्यय	6	7	7	7	7
कर वसूली पर लागत (प्रतिशत में)	1.21	1.06	1.11	1.03	0.90
4. स्टाम्प एवं पंजीकरण कर					
राजस्व वसूली	503	531	532	607	469
संग्रहण पर व्यय	19	17	17	20	17
कर वसूली पर लागत	3.78	3.20	3.20	3.29	3.63

अन्य करों के संग्रहण पर व्यय के मुकाबले, स्टाम्प एवं पंजीकरण कर के संग्रहण पर व्यय अत्यधिक था।

2.5 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निगम कर	3,006	3,313	5,031	6,135	6,475
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,980	2,366	3,503	4,264	5,467
धन कर	8	9	1	14	(-)0.19
सीमा शुल्क	1,459	1,534	2,551	2,639	2,134
संघ उत्पाद शुल्क	1,030	866	2,117	3,013	2,230
सेवा कर	1,456	1,399	2,755	3,077	2,404
एकीकृत माल एवं सेवा कर	2,134
केंद्रीय माल एवं सेवा कर	299
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	10	(*)	(-)0.01
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	8,939	9,487	15,968	19,142	21,143
कुल कर राजस्व	18,319	19,837	27,448	32,441	33,497
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	49	48	58	59	63

(*) यहाँ पर मात्र ₹ 7,000 है।


2.6 सहायक अनुदान

सहायतार्थ अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती हैं तथा इसमें नीति आयोग द्वारा स्वीकृत राज्य आयोजनागत योजनाएं एवं केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान सम्मिलित हैं। 2017-18




के दौरान सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 11,412 करोड़ नीचे दर्शात अनुसार हैं -

सहायक अनुदान



कुल सहायता अनुदान में गैर-योजना के हिस्से में वर्ष 2015-16 के दौरान 23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 20 प्रतिशत तथा आगे वर्ष 2017-18 में घटकर 20 प्रतिशत हुआ तथा योजनागत योजनाओं हेतु अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2015-16 में 77 प्रतिशत से 2016-17 में 80 प्रतिशत की वृद्धि तथा आगे वर्ष 2017-18 में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹ 13,414 करोड़ के संघीय हिस्से के बजट प्रावक्कलन के विरुद्ध वास्तव में राज्य सरकार ने ₹ 11,412 करोड़ का सहायक अनुदान (बजट प्रावक्कलन का 85 प्रतिशत) व्यय किया।

सहायक अनुदान का रूझान




2.7 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरणी	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आन्तरिक ऋण	4,597	6,537	13,080	6,847	7,905
केन्द्रीय कर्जे	106	153	165	234	232
कुल लोक ऋण	4,703	6,690	13,245	7,081	8,137



वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6,000 करोड़ ऋण 7.27 प्रतिशत से 8.08 प्रतिशत की दर से, खुला बाजार से उठाए गए थे जो वर्ष 2027-33 तक प्रतिदेय है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थानों से 1,906 करोड़ उठाये। इस प्रकार वर्ष 2017-18 में कुल आन्तरिक ऋण ₹ 7,905 करोड़ लिया गया। सरकार को ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में भारत सरकार से ₹ 232 करोड़ प्राप्त हुआ।

अध्याय - 3

व्यय

3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूँजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है। व्यय को अग्रेतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

● सामान्य सेवाएँ

न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेशन इत्यादि शामिल है।

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल है।

● सामाजिक सेवाएँ

● आर्थिक सेवाएँ

कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल है।

3.2 राजस्व व्यय

विगत पाँचों वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय में हास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट प्राक्कलन	30,435	39,488	43,343	48,762	57,861
वास्तविकी	23,472	31,795	36,553	45,089	50,952
अन्तर (-) बचत / (+) आधिक्य	(-)6,964	(-)7,693	(-)6,790	(-) 3,673	(-) 6,909
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(-)23	(-)19	(-)16	(-) 8	(-)12

कुल राजस्व व्यय का लगभग 46 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय पर जैसे वेतन एवं मजदूरी (₹ 11,221 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,662 करोड़), पेंशन (₹ 5,913 करोड़) एवं सबसिडी (₹ 1,440 करोड़) पर खर्च किया गया जो कि राज्य सरकार के प्रतिबद्ध दायित्व थे।

विगत पाँच वर्षों में प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल राजस्व व्यय	23,471	31,795	36,553	45,089	50,952
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय [#]	13,033	13,809	16,050	19,093	23,236
कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का प्रतिशत	56	43	44	42	46
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	10,438	17,986	20,503	25,996	27,716


प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में वेतन, ब्याज, पेंशन वं सबसिडी भुगतान पर किया खर्च सम्मिलित है।

यह देखा गया है कि विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय के वर्ष 2017-18 में काफी वृद्धि हुई। कुल राजस्व व्यय, वर्ष 2013-14 में ₹ 23,471 करोड़ से वर्ष 2017-18 में 50,952 करोड़ 117 प्रतिशत बढ़ गया तथा उसी अवधि के दौरान प्रतिबद्ध राजस्व व्यय में 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई।


3.2.1 राजस्व व्यय (2017-18) का खण्डवार वितरण

(₹ करोड़ में)

संघटक	राशि	प्रतिशतता
क. राज्य के अंग	543	1.07
ख. राजकोषीय सेवायें		
(i) सम्पत्ति एवं पूँजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	339	0.67
(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	91	0.18
(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	2	0.00
ग. ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	4,662	9.15
घ. प्रशासनिक सेवायें	5,003	9.82
च. पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	5,918	11.61
छ. सामाजिक सेवायें	19,575	38.42
ज. आर्थिक सेवायें	14,819	29.09
झ. सहायक अनुदान एवं अंशदान
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	50,952	100.00



3.2.2. राजस्व व्यय (2013-14 से 2017-18) के मुख्य घटक




3.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय वृद्धि प्रक्रिया को लगातार बनाये रखने के लिए अत्यन्त जरूरी है। वर्ष 2017-18 में ₹ 13,804 करोड़ के पूंजीगत व्यय (जी.एस.डी.पी. के 5 प्रतिशत) बजट अनुमानों से ₹ 1,066 करोड़ अधिक था (अधिक व्यय ₹ 107 करोड़ गैर-योजना व्यय के अधीन एवं ₹ 959 करोड़ राज्य योजना के अधीन)। वर्ष 2013-14 से पूंजीगत व्यय ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समान्तर वृद्धि नहीं की। जैसा की नीचे सारणी से प्रतीत होता है।

क्र. सं.	घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	बजट अनुमान	6,521	8,862	8,761	6,995	12,738
2	वास्तविक व्यय (#)	4,944	6,367	15,639	12,196	13,804
3	बजट अनुमानों से वास्तविक व्यय की प्रतिशतता	76	72	179	174	108
4	पूंजीगत व्यय में वार्षिक वृद्धि	1	29	146	(-22)	13
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,72,773	1,97,514	2,41,955	2,53,536	2,55,271
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि	10	14	23	5	1

(#) इसमें ऋणों एवं अग्रिमों का व्यय सम्मिलित है।



3.3.1. पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2017-18 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 309 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 265 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर ₹ 2,093 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 5,037 करोड़ खर्च किया गया।

3.3.2. पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का खण्डवार वितरण

विगत पाँच वर्षों में पूंजीगत तथा राजस्व व्यय का तुलनात्मक क्षेत्रवार विवरण निम्न दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

खण्ड		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सामान्य सेवाएँ	पूंजी	168	326	571	590	807
	राजस्व	9,959	10,623	12,002	13,024	16,558
सामाजिक सेवाएँ	पूंजी	924	910	1,023	1,532	1,528
	राजस्व	8,215	11,915	14,844	18,557	19,575
आर्थिक सेवाएँ	पूंजी	3,630	4,307	6,564	8,739	9,618
	राजस्व	5,297	9,256	9,707	13,508	14,819
सहायता अनुदान	पूंजी	249	5	8	105	..
	राजस्व	6,173	12,399	14,883	20,227	20,714


3.4 लेखांकन मानकों का अनुपालन

- (i) **सरकारों द्वारा दी गई गारंटी (आईजीएएस-1) :** राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य सरकार के उपक्रमों, सरकारी उद्यमों इत्यादि को दी गई गारंटी सूचित नहीं की गई है। हालांकि डी.वी.सी. से खरीदी जा रही विद्युत के विरुद्ध मासिक बिल के भुगतान के लिए झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को अतिरिक्त ऋण पत्र खोले जाने के लिये झारखण्ड विद्युत बोर्ड को राज्य गारंटी प्रदान की गई।
- (ii) **सहायक अनुदान का लेखा वर्गीकरण (आईजीएएस-2) :** वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत परिव्यय से कोई सहायक अनुदान नहीं दिया है।
- (iii) **सरकार द्वारा लिखे गए ऋण और अग्रिम :** ऋण और अग्रिमों के लिए भारत सरकार के लेखा मानकों के तहत आवश्यक जानकारी अपूर्ण है, क्योंकि इसकी पुष्टि राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। ऋण और अग्रिमों के संबंध में 31 मार्च 2018 को अतिदेय मूलधन और ब्याज की विस्तृत जानकारी, जिसका लेखा-जोखा राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है, भी प्रतीक्षित है। व्यक्तिगत लेनदारों के ऋणों के पुनर्भुगतान की शेष राशि की जानकारी, जिसके लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा विस्तृत लेखों को व्यवस्थित रखना है, भी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा निर्धारित आईजीएएस-1, 2 एवं 3 पर जानकारी/सूचनाओं को व्यक्त करने वाला मानक प्रारूप वित्त लेखे के खण्ड-I एवं खण्ड-II के प्रासंगिक विवरणों में अपनाया गया है।

अध्याय - 4

राज्य स्कीम (सी.ए.एस.सी. एवं सी.एस.एस. सहित) एवं स्थापना व्यय


4.1 व्यय का वितरण



4.2 योजना व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान, योजना व्यय (₹ 26,306 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 8,577 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 1,762 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) ₹ 36,645 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण (₹ 64,756 करोड़) का 57 प्रतिशत को इंगित करता है।

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय





वर्ष 2017-18 में राजस्व खण्ड के अधिन योजना व्यय ₹ 22,999 करोड़ जो वर्ष 2016-17 में ₹ 22,194 करोड़ से 3.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017-18 में पूंजीगत खण्ड में व्यय ₹ 13,646 करोड़ जो वर्ष 2016-17 के ₹ 12,072 करोड़ से 13 प्रतिशत अधिक है। योजना व्यय में केन्द्र प्रायोजित योजना/केन्द्रीय सेक्टर योजना (राजस्व ₹ 8,032 करोड़ एवं पूंजीगत ₹ 545 करोड़) का हिस्सा वर्ष 2016-17 में ₹ 6419 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 8,577 हो गया।


4.2.1. पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
कुल पूंजी व्यय	4,945	6,367	15,639	12,196	13,804
कुल पूंजी व्यय (स्कीम)	4,899	6,309	15,494	12,072	13,646
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (स्कीम) की प्रतिशतता	99	99	99	99	99

4.2.2 ऋणों एवं अग्रिमों पर स्कीम व्यय


ऋण एवं अग्रिम पर महत्वपूर्ण व्यय निम्न थे :



4.3 स्थापना व्यय

कुल व्यय एवं स.रा.घ.उ. के अनुपात में योजना व्यय


वर्ष 2017-18 के दौरान स्थापना व्यय (₹ 27,953 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹158 करोड़ पूँजी के अधीन) ₹ 28,111 करोड़ था, जो कुल संवितरण ₹ 64,756 करोड़ का 43 प्रतिशत को इंगित करता है।




4.4 वचनबद्ध व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान में पूर्व के वर्षों के मुकाबले वृद्धि हुई जो मुख्यतः वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण के कारण हुई है।

वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति





विंगत पाँच वर्षों का राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति का तुलनात्मक वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्ति -

(₹ करोड़ में)

संघटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वचनबद्ध व्यय	13,033	13,809	16,050	19,093	23,236
राजस्व व्यय	23,471	31,795	36,553	45,089	50,952
राजस्व प्राप्तियाँ	26,137	31,565	40,638	47,054	52,756
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	50	44	39	41	44
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	56	43	44	42	46

वचनबद्ध व्यय वर्ष 2013-14 से 2017-18 में 78 की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय इसी अवधि के दौरान 117 की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

अध्याय – 5


विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2017-18 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल बजट	(₹ करोड़ में)	
						वास्तविक व्यय (...)	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	53,076	5,008		58,084	46,192	(-)11,892
	प्रभारित	4,785	22	0	4,807	4,760	(-)47
2.	पूँजी						
	दत्तमत	12,738	1,452	0	14,190	11,952	(-)4,261
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	3,052	5	0	3,057	2,949	(-)108
4.	कर्ज एवं अग्रिम						
	दत्तमत	2,022	1	0	2,023	1,852	(-)171
	कुल						
5.	दत्तमत	67,836	6,461	0	74,297	59,996	(-)14,301
	प्रभारित	7,837	27	0	7,864	7,709	(-)155

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

वर्ष	बचत (-) अधिक व्यय (+)				कुल
	राजस्व	पूँजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	
2013-14	(-)9,060	(-)2,990	(+)182	(-)568	(-)12,436
2014-15	(-)13,104	(-)3,265	(-)115	(-)421	(-)16,905
2015-16	(-)14,275	(-)2,673	(-)28	(-)549	(-)17,525
2016-17	(-)11,378	(-)1,818	(+)11	(-)347	(-)13,532
2017-18	(-)11,939	(-)2,338	(-)108	(-)171	(-)14,456



5.3 महत्वपूर्ण बचतें


किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :-

अनुदान	नामकरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(प्रतिशत में)						
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	58	56	54	32	38
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	22	41	38	27	30
29	खनन एवं भू-तत्त्व विभाग	33	38	43	49	69
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रभाग)	56	40	31	17	26

जहाँ वर्ष 2017-18 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 6,488 करोड़ (कुल व्यय का 10 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरुद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं।

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	राजस्व	1,476.37	74.03	838.92
2	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	राजस्व	351.91	23.51	215.49
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	2,652.62	866.54	2,537.70
23	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	425.71	41.25	233.28
26	श्रम, नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	राजस्व	229.41	12.28	133.60



(₹ करोड़ में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	1,581.37	306.30	1,723.66
40	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	राजस्व	509.42	26.38	461.61
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	5,000.00	93.00	5,036.91
42	ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	राजस्व	5,522.58	53.12	3,342.12
48	नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	राजस्व	2,463.52	918.94	2,952.04
51	कल्याण विभाग (कल्याण प्रभाग)	राजस्व	1,639.06	230.67	1,089.71
54	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	राजस्व	307.74	1.24	175.47
56	ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	राजस्व	1,647.22	154.65	1,574.95
58	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	राजस्व	1,731.01	16.33	1,156.72
60	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	3,310.33	32.13	2,523.16

अध्याय - 6

परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋण की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आनेवाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2017-18 के अंत में गैर-वित्तीय सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) में शेयर पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹ 376.87 करोड़ था। यद्यपि, वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश कुल निवेश पर शून्य था। 2017-18 के दौरान निवेश में ₹ 56.04 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन लाभांश आय शून्य थी।

31 मार्च 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक का नगदी शेष ₹ 502 करोड़ था जो मार्च 2018 के अंत तक कम होकर ₹ (-)242 करोड़ रह गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में सरकार ने 123 अवसरों पर, ₹ 60,205 करोड़ की राशि 14 दिनों के खजाना बिलों में निवेश किया तथा ₹ 61,289 करोड़ के मूल्य का 211 अवसरों पर पुनः बहु चुकाया। वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश की स्थिति को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है :-

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश			
1 अप्रैल 2017 को शेष	2017-18 के दौरान खरीद	2017-18 के दौरान विक्रय	31 मार्च 2013 को अन्तिम शेष
1,439	60,205	61,289	355

भारत सरकार के खजाना बिलों में नकदी शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2017 को शेष

1,439

2017-18 के दौरान खरीद

60,205

2017-18 के दौरान विक्रय

61,289

31 मार्च 2018 का अन्तिम शेष

355

6.2 ऋण एवं दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293, राज्य सरकारों को, समेकित निधि की अभिरक्षा पर, एक सीमा के भीतर, जो कि राज्य विधान मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है, उधार लेने कि शक्तियाँ प्रदान करता है। वर्ष 2017-18 के लिए यह सीमा ₹ 6,000 करोड़ था, इसके विरुद्ध झारखण्ड सरकार ने ₹ 5,999.65 करोड़ का बाजार ऋण लिया।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल दायित्वों का विगत पाँच वर्षों का विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है :-


(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	लोक लेखा*	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	कुल देयताएँ (₹ करोड़ में)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
2013-14	30032	12	7562	3	37594	15
2014-15	34842	14	8727	3	43569	17
2015-16	45841	18	10689	4	56530	22
2016-17	50845	20	15982	6	66827	26
2017-18	56032	22	21063	8	77095	30


* उच्चत तथा विविध एवं प्रेषण शेषों को छोड़कर

वर्ष 2017-18 में लोक ऋण तथा कुल दायित्वों में, पिछले वर्ष से ₹ 10,268 करोड़ (15 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई।

सरकार के दायित्वों का रूझान



* व्याज एवं व्याज रहित दायित्व जैसे लोकल निधि में जमा, अन्य कर्णाकित निधि आदि।



6.3 निवेश एवं वापसीयाँ

वर्ष 2017-18 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूँजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 377 करोड़ था। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 56 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

6.4 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2017-18 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा दिया गया कुल कर्ज एवं पेशगियाँ ₹ 19,292 करोड़ था, इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्ज एवं पेशगियाँ ₹ 19,268 करोड़ था, 31 मार्च 2018 के अन्त मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 1,330 करोड़ तथा ₹ 1,038 करोड़ का बकाया है।

6.5 प्रत्याभूति

सीधे ऋण जुटाने के अलावा, राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बजट और वित्तीय संरक्षण से सरकारी कंपनियों और निगम द्वारा उठाए गए ऋणों की गारंटी दी है। इन गारंटी (प्रत्याभूति) को राज्य बजट से बाहर रखा गया है।

वर्ष के अन्त में	गारंटी की अधिकतम राशि (मूलधन)	वर्ष के अन्त में बकाया गारंटी	
		मूलधन	ब्याज
2013-14	...	157	...
2014-15	...	157	...
2015-16	...	157	...
2016-17	...	157	...
2017-18	...	157	...

अध्याय - 7

अन्य मदें

7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गये कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती हैं। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2018 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 53,799 करोड़ था।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2016-17 में ₹ 20,332 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹ 20,714 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹ 2,425 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 12 प्रतिशत था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है -


(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2015-16	3,407	1,646	0.00	9,838	14,891
2016-17	2,534	2,961	0.00	14,837	20,332
2017-18	1,270	1,155	0.00	18,289	20,714

7.3 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का मिलान

(₹ करोड़ में)

संघटक	1 अप्रैल 2017 को	31 मार्च 2018 को	निवल वृद्धि (+)/हास (-)
रोकड़ शेष	502	(-)242	(+)744
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	1,439	355	(-)1084
ब्याज सिद्ध	117	79	(-)38



7.4 लेखे का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा, महालेखाकार (ले.एवं हक.) द्वारा संकलित लेखे के ऑँकड़े के साथ विभागीय ऑँकड़े का समय पर समाधान पर निर्भर करता है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय (₹ 67,705.95 करोड़) में से मात्र 43.83 प्रतिशत (₹ 29,675.67 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 60,960.38 करोड़ में से मात्र 75.76 प्रतिशत (₹ 46,182.49 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्री अधिकारियों (सी.सी.ओ.) द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	कुल मुख्य नियंत्री अधिकारियों की संख्या	पूर्णतः पुनर्मिलान	आंशिक पुनर्मिलान	पुनर्मिलान नहीं किया गया
व्यय	180	25	90	65
प्राप्तियाँ	100	23	07	70
कुल	280	48	97	135

पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क्रम. सं.	विभाग का नाम / मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष / वर्षों के नाम
1.	सचिव, कृषि विभाग	2015-16, 2016-17, 2017-18
2.	सचिव, पी.एच.ई.डी.	2015-16, 2016-17, 2017-18
3.	उप-सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	2015-16, 2016-17, 2017-18
4.	सचिव, शहरी विकास, ज्ञारखण्ड, राँची	2015-16, 2016-17, 2017-18
5.	अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची	2015-16, 2016-17, 2017-18
6.	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ज्ञारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
7.	सचिव, कल्याण विभाग, ज्ञारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
8.	सचिव, विधि विभाग, ज्ञारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
9.	श्रमायुक्त, ज्ञारखण्ड, राँची	2015-16, 2016-17, 2017-18
10.	उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ज्ञारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18

क्रम सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
11.	उप सचिव, कला संस्कृति तथा युवा विभाग, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
12.	निदेशक, रोजगार तथा प्रशिक्षण, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
13.	वाणिज्य कर आयुक्त, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
14.	सचिव, निजी तथा प्रशासनिक सुधार बोर्ड, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
15.	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा विभाग, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
16.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
17.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18
18.	महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग, झारखण्ड	2015-16, 2016-17, 2017-18

7.5 कोषागार द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागार द्वारा प्रारम्भिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभाग द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।


7.6 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 2016 के नियम 261 के तहत सक्षम स्वीकृति प्रधिकारी के प्राधिकारी अधीन स्वीकृत राशि को छोड़कर सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान, अंशदान इत्यादि की राशि को कोषागार में संवितरित नहीं किया जा सकेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में आहरित राशि के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संस्थीकृति प्रधिकारी को स्वीकृत्यादेश निर्गत करना चाहिए। निर्धारित अवधि के उपरांत बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र के लिए, निहित उद्देश्यों के लिए अनुदान कि उपयोगिता पर आश्वासन नहीं प्रदान किया जा सकता। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति नीचे अंकित है:-

उपयोगिता प्रमाण-पत्र की सारणी :-

वर्ष*	प्रतीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	7,318	10,678.82
2016-17	9,054	10,751.41
2017-18	5,019	17,481.36
योग	21,391	38,911.59

*उपर वर्णित वर्ष 'बकाया वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक निकासी के 12 माह के पश्चात्। इस मामले को बार-बार राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है।



7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2017-18 तक ₹ 5,341 करोड़ की राशि का 18,568 विस्तृत आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों (ए.सी.) की सारणी :-

वर्ष	लम्बित विस्तृत आकस्मिक विपत्रों (डी.सी.) की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	17,887	4,191
2016-17	374	548
2017-18	307	602
योग	18,568	5,341

7.8 अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 2,778 करोड़ का व्यय किया गया।

7.9 उच्चल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

विद्युत वितरण कम्पनियों के पुनर्जीवित पैकेज के अनुसार, झारखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उदय के अन्तर्गत सहायता के रूप में कुल ₹ 6,136.37 करोड़ की राशि वितरण कम्पनियों को प्रदान किया गया, जिसमें से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सहभागी/ऋणादि बैंकों को जारी नॉन एस.डी.एल. बॉन्ड्स के द्वारा ₹ 5,553.37 करोड़ की राशि उगाही की गई जबकि राज्य में संचित निधि से ₹ 583.00 करोड़ की राशि दी गई। ₹ 6,136.37 करोड़ की सम्पूर्ण राशि झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वितरण कम्पनियों को उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई।

7.10 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमिता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2018 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

वर्ष 2017-18 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत् था :-

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2017-18 के कुल व्यय के संदर्भ में 3 / 2018 की प्रतिशतता
2205	कला एवं संस्कृति	0.62	1.88	3.19	13.51	19.19	10.48	54.61
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	2.18	9.11	5.81	96.06	113.16	69.30	61.24
2810	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	57.51	32.00	6.02	143.36	238.89	122.00	51.07
2852	उद्योग	2.57	15.31	29.64	85.45	132.97	82.48	62.03
4055	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	86.31	14.51	31.15	240.00	371.97	213.62	57.43
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.18	16.35	16.53	16.35	98.91
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.28	33.11	33.39	32.79	98.20
4401	फसल कृषि-कर्म	0.00	0.00	0.00	36.56	36.56	36.55	99.97
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	11.73	6.81	279.84	299.16	254.25	84.99
4404	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1.50	1.50	0.04	8.00	11.04	6.63	60.05
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	2.04	3.00	176.08	181.12	169.10	93.36
4875	उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	1.50	0.00	8.00	9.50	8.00	84.21
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100.00
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	22.37	2.48	7.19	39.95	71.99	38.08	52.90

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2018
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in